न्यायालय उपखण्ड अधिकरी किशनगढबास अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र सं0 69/21

अध्याशाषित:— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

प्रवेश तिथि 18.06.2021

निर्णय दिनांक 14.12.2022

उनवान

1. रमेश कुमारी पत्नि रूडचन्द
2. रिंका पुत्री रूडचन्द
3. संजीव कुमार पुत्र रूडचन्द
4. संदीप कुमार पुत्र रूडचन्द
5. सचिन कुमार पुत्र रूडचन्द जातियान जाट पंजाबी निवासी नंगला डूंगर तहसील किशगनढबास जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र सरदारीलाल जाति जाट पंजाबी निवासी नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास।
2. आशा पुत्री ताराचन्द पत्नि सुनील जाति जाट पंजाबी निवासी मथुरापुरी तहसील किशनगढबास।
3. उषा पुत्री ताराचन्द पत्नि स्व0 राजकुमार जाति जाट पंजाबी निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास।
4. करतार चन्द पुत्र हंसराज जाति जाट पंजाबी निवासी नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास।
5. कृष्णा पुत्री सरदारीलाल पत्नि बॉबी जाति जाट पंजाबी तहसील किशनगढबास।
6. पूनम कुमारी पुत्री सरदारीलाल पत्नि रिंकू जाति जाट पंजाबी निवासी नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास।
7. पवन कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट पंजाबी।
8. पुष्पा देवी पत्नि ताराचन्द जाति जाट पंजाबी।
9. रविन्द्र कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट पंजाबी।
10. शिवदयाल पुत्र ताराचन्द जाति जाट पंजाबी।
11. शकुन्तला पत्नि सरदारीलाल जाति जाट पंजाबी।
12. सोमनाथ पुत्र ताराचन्द जाति जाट पंजाबी निवासीयान नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर।
13. भूमिधारी तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर।

:—प्रतिवादीगण

दावा 53,188 आर.टी.एक्ट. 1955

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उपस्थिति :-

1. वादी की ओर से श्री अमरसिंह सैनी।
2. प्रतिवादी की ओर से श्री धीरसिंह चौधरी।

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है :-

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 950 रकबा 0.59 हे0 वाके ग्राम नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में स्थित है जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी संख्या 2074 से 2077 संलग्न वादपत्र है।

विवादित आराजी खसरा संख्या 950 रकबा 0.59 हे0 वाके ग्राम नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर में हम वादीगण 23/47 भाग कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताविक जमाबन्दी है। जो आराजी हम वादीगण व प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की शामलाती आराजी है। जिस पर हम वादीगण व प्रति0 शामलात में हिस्से मुताविक काविज व दाखिल होकर काश्त करोबार करते चले आ रहे है। तथा राजस्व रिकॉर्ड में हम वादीगण व प्रति0 के नाम का इन्द्राज हिस्सा मुताविक दर्ज चला आ रहा है।

विवादित आराजी का हम पक्षकारान के दरम्यिान आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है। तथा विवादित आराजी पर हम पक्षकारान सामलात में ही काविज व दाखिल होकर काश्त करोबार करते चले आ रहे है। तथा कानुनन जब तक विवादित आराजी का वास्तविक बँटवारा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच भाग भूमि पर प्रत्येक हिस्सेदार का पूर्ण हक हिस्सा निहित है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जारिये सम्मन तलब किया जाकर पक्षकारान की जवाव देही आने के पश्चात सहमति से सुना जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर उक्त वाद दिनांक 13.04.2022 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार खैरथल ने अपने पत्रांक/भू.अ./2022/596 दिनांक 13.09.2022 से कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा को भिजवाई। कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जाकर पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी ने एतराज कुर्रे कायम पेश किया वकील वादी ने प्रार्थना पत्र एतराज कुर्रे कायमी को अस्वीकार करते हुए जबाव एतराज कुर्रे कायमी पेश हुआ तथा वकील पक्षकारान को एतराज कुर्रे कायमी सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा संख्या 950 रकबा 0.59 हे0 स्थित वाके ग्राम नंगला डूंगर जो कि नन्तराम पुत्र बग्गाराम जाट पंजाबी के नाम खातेदारी थी, जिसको रूडचन्द पुत्र सन्तराम जो कि वादीगण का पिता था जरिये बयनामा कमांक 949 दिनांक 07.08.1979 को खरीद किया हुआ है। जो कि वादीगण की खरीदशुदा आराजी है। इंतकाल की प्रमाणित प्रति संलग्न जबाव पेश की गई। एवं खसरा संख्या 950 रकबा 0.59 हे0 में से 1/2 भाग प्रतिवादीगण की अलोटमेन्ट स्वयं अर्जित

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

आराजी है। दादालाई आराजी नहीं है। खरीदशुदा आराजी है। तहसीलदार खैरथल से प्राप्त कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार 950/1 पर रमेश कुमारी वगैरा एवं 950/2 पर अनिल कुमार वगैरा द्वारा काश्त होना बताया गया है। जो जहॉ काबिज है वहॉ पर ही कब्जे मुताबिक रिपोर्ट तैयार की है। ये दानो की ही दादालाई जमीन है। इन्होने कब्जे बाबत् काई बात नहीं की है। इस कुर्रे कायमी रिपोर्ट में ना तो तहसीलदार के जाने का, ना ही मौके का कोई कब्जे का विवाद था। अतः पत्रावली में पेश इंतकाल छायाप्रति एवं तहसीलदार खैरथल से प्राप्त कुर्रे कायमी रिपोर्ट के आधार पर वादिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐतराज उचित एंव न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत ऐतराज कुर्रे कायमी खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार खैरथल द्वारा भिजवाई गई कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार वाद वादनी बाबत् तकासमा आराजी फाईनल डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोंचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :-

वाद वादनी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगीः-

क्र0 सं0	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	रमेश कुमारी पत्नि रूडचन्द, रिंका पुत्री रूडचन्द, सचिन कुमार, संजीव कुमार, संदीप कुमार पुत्रान रूडचन्द जाति जाट पंजाबी सम हिस्सा सा0 देह खातेदार।	950/1	0.29 हे0
2	शकुन्तला पत्नि सरदारी लाल, अनिल कुमार, रविन्द्र कुमार पत्रान सरदारीलाल, कृष्णा, पूनम पुत्रीयान सरदारीलाल 1/3 हि0, पुष्पा देवी पत्नि ताराचन्द, पवन कुमार, शिवदयाल, सोमनाथ पुत्रान ताराचन्द, आशा, ऊषा पुत्रीयान ताराचन्द 1/3 हि0 करतार चन्द पुत्र हंसराज 1/3 हि0 जातियान जाट पंजाबी सा0 देह खातेदार	950/2	0.30 हे0

तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में खाते व लगान पृथक-पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकने अपना-अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रस्तावित नक्शा डिक्री की जुज रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकरी किशनगढबास अलवर (राज0)

अध्यासित:- श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

निर्णय दिनांक 14.12.2022

प्रार्थना पत्र सं0 69/21

प्रवेश तिथि 18.06.2021

उनवान

1. रमेश कुमारी पत्नि रूडचन्द
2. रिंका पुत्री रूडचन्द
3. संजीव कुमार पुत्र रूडचन्द
4. संदीप कुमार पुत्र रूडचन्द
5. सचिन कुमार पुत्र रूडचन्द जातियान जाट पंजाबी निवासी नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र सरदारीलाल जाति जाट पंजाबी निवासी नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास।
2. आशा पुत्री ताराचन्द पत्नि सुनील जाति जाट पंजाबी निवासी मथुरापुरी तहसील किशनगढबास।
3. उषा पुत्री ताराचन्द पत्नि स्व0 राजकुमार जाति जाट पंजाबी निवासी बम्बोरा तहसील किशनगढबास।
4. करतार चन्द पुत्र हंसराज जाति जाट पंजाबी निवासी नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास।
5. कृष्णा पुत्री सरदारीलाल पत्नि बॉबी जाति जाट पंजाबी तहसील किशनगढबास।
6. पूनम कुमारी पुत्री सरदारीलाल पत्नि रिंकू जाति जाट पंजाबी निवासी नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास।
7. पवन कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट पंजाबी।
8. पुष्पा देवी पत्नि ताराचन्द जाति जाट पंजाबी।
9. रविन्द्र कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट पंजाबी।
10. शिवदयाल पुत्र ताराचन्द जाति जाट पंजाबी।
11. शकुन्तला पत्नि सरदारीलाल जाति जाट पंजाबी।
12. सोमनाथ पुत्र ताराचन्द जाति जाट पंजाबी निवासीयान नंगला डूंगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर।
13. भूमिधारी तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर।

:—प्रतिवादीगण

दावा 53,188 आर.टी.एक्ट. 1955

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से श्री अमरसिंह सैनी।
2. प्रातिवादी की ओर से श्री धीरसिंह चौधरी।

पर्चा डिक्री

वाद वादनी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगीः–

क्र0 सं0	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकवा
1	रमेश कुमारी पत्नि रूडचन्द, रिंका पुत्री रूडचन्द, सचिन कुमार, संजीव कुमार, संदीप कुमार पुत्रान रूडचन्द जाति जाट पंजाबी सम हिस्सा सा0 देह खातेदार।	950/1	0.29 हे0
2	शकुन्तला पत्नि सरदारी लाल, अनिल कुमार, रविन्द्र कुमार पत्रान सरदारीलाल, कृष्णा, पूनम पुत्रीयान सरदारीलाल 1/3 हि0, पुष्पा देवी पत्नि ताराचन्द, पवन कुमार, शिवदयाल, सोमनाथ पुत्रान ताराचन्द, आशा, ऊषा पुत्रीयान ताराचन्द 1/3 हि0 करतार चन्द पुत्र हंसराज 1/3 हि0 जातियान जाट पंजाबी सा0 देह खातेदार	950/2	0.30 हे0

तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में खाते व लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकने अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रस्तावित नक्शा डिकी की जुज रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)